कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/गुण. एवं प्रशि. अनु./ई–कक्षा/मिशन स्टार्ट/61187/2023–24 दिनांकः– 21.09.2023

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषय– Mission START 2023–24 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश ।

प्रसंगः– शासन का पत्रांकः– F17(1)Edu-1/Misc./2017 Part-1-00702 जयपुर दिनांक 12.09.2023 के क्रम में।

शिक्षा विभाग द्वारा ''ब्लेन्डेड मोड ऑफ लर्निंग'' के प्रयोग से शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक आनन्ददायक साधन है। विशेष रूप से स्कूली विद्यार्थियों के सीखने के लिए यह एक अत्यन्त प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रहा है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा से मिलने वाली ऑडियो वीडियो सुविधा विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ना केवल संज्ञानात्मक तत्वों की वृद्धि करती है बल्कि विद्यार्थियो में विषय के प्रति रोचकता एवं उत्साह को भी बढ़ाती है। इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 05 सितम्बर, 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभागीय नवाचार फ्लैगशिप कार्यक्रम Mission START 2023–24 का शुभारम्भ किया गया है।

यह कार्यक्रम राज्य के दूरदराज के इलाकों मे अध्ययनरत् उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जहां शिक्षा की पहुंच पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अर्थात् या तो इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है अथवा अन्य किसी कारणवश विषयाध्यापकों की उपलब्धता में कमी है। मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे समस्त विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पदरिक्ति अथवा शिक्षक अनुपस्थिति की स्थिति में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कन्टेन्ट के माध्यम से अध्ययन करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि शिक्षकों की कमीध अनुपस्थिति का प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थी की अध्ययन निरन्तरता पर न हो।

❖ **Mission START के उद्देश्यः–**

1. जिन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विषयाध्यापकों के पद रिक्त है, अथवा किसी भी कारणवश (यथा दुघटना, मातृत्व अवकाश, अन्य मेडिकल आपात स्थितियों में) शिक्षक की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों को उक्त विषय का डिजिटल माध्यम से शिक्षण करवाया जाना है।
2. विद्यालयों में उपलब्ध क्रियाशील आईसीटी लैब, कम्प्यूटर्स, विभिन्न डिजिटल संसाधन यथा स्मार्ट टी.वी/आई.एफ.पी.डी/प्रोजेक्टर/इंटरेक्टिव पैनल/स्मार्ट बोर्ड इत्यादि की उपलब्धता का आंकलन किया जाकर इन समस्त डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग विद्यार्थी शिक्षण में किया जाना है।
3. शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में सभी विषयों का ई–कन्टेन्ट उपलब्ध करवाना। ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता परिस्थितिनुसार हार्ड डिस्क, पैनड्राईव आदि के माध्यम से सुनिश्चित करवाना तथा ई–कन्टेन्ट की मैपिंग करना।
4. विद्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट का समुचित उपयोग कर विभागीय यूटयूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों का शिक्षण सुनिश्चित करना है।
5. विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ब्लेंडेड मॉड ऑफ टीचिंग (ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से) के लिए समुचित समय सारणी तैयार करवाना तथा उसके अनुसार कक्षाओं का सुचारू संचालन करवाना।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 22:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4746524

❖ **Mission START कार्यक्रम का क्रियान्वयन :–**

विद्यालयों में आईसीटी लैब्स तथा कम्प्यूटर्स, विभिन्न डिजिटल संसाधन यथा स्मार्ट टी.वी/ आई.एफ.पी.डी/प्रोजेक्टर/इंटरेक्टिव पैनल/स्मार्ट बोर्ड इत्यादि उपलब्ध है। अतः इन संसाधनों के उचित उपयोग से विभाग के दक्ष शिक्षकों के द्वारा निर्मित इस ई–कंटेट को विद्यालयों तक पहुंचाया जाना और इसका समुचित उपयोग करवाना विभाग की प्राथमिकता है।

डिजिटल लर्निंग विद्यार्थियों को अपनी सीखने की गति के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है साथ हीं शिक्षक भी नवाचारों एवं नये विचारों के समावेशन से अपने अध्यापन को अधिक प्रभावी बना सकते है। डिजिटल शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों का समग्र विकास भी किया जा सकता है। क्योंकि इन्हीं सभी बिन्दुओं के मद्देनजर विभाग द्वारा मिशन स्टार्ट कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। जिसका क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना हैः–

- **लक्षित समूह –**
  - कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी।
- **विद्यालय में हार्डवेयर उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की स्थिति :–**
  - मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त अधिकारीगण अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में उपलब्ध आईसीटी योजनान्तर्गत अथवा भामाशाह या अन्य किसी भी माध्यम से उपलब्ध सभी डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्ट टी.वी/ आई.एफ.पी.डी/प्रोजेक्टर/इंटरेक्टिव पैनल/स्मार्ट बोर्ड इत्यादि की उपलब्धता एवं क्रियाशील उपकरणों की संख्या स्वयं के स्तर पर संधारित की जानी है।
  - साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक उपकरण व आईसीटी लैब्स क्रियाशील स्थिति में रहें ताकि ई–कंटेट द्वारा कक्षाओं का संचालन निर्बाध रूप से हो सके।
- **पदरिक्ति/शिक्षक की अनुपस्थिति :–**
  - सभी अधिकारीगण अपने परिक्षेत्र में कक्षा 9–12 तक शैक्षिक रिक्त पदों का आंकलन करेगें साथ ही विविध परिस्थितियों यथा मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, मेडिकल अवकाश इत्यादि किसी भी कारण से शिक्षक लंबे अवकाश पर है तो यह जानकारी भी संधारित करेगें तथा मांगे जाने पर निदेशालय के अधिकारियों को प्रेषित करेगें।
  - सामान्य आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी शिक्षक के साप्ताहिक पाठ योजना के अनुरूप निर्धारित पाठ्यसामग्री का ई–कंटेट विद्यार्थियों को दिखाया जाना है।
- **ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता एवं मैपिंगः**
  1. **हार्ड–डिस्क के माध्यम से :** प्रत्येक विद्यालय तक हार्डडिस्क के माध्यम से ई–कंटेट की पहुंच करने के लिए समसा आईसीटी सेल द्वारा इस हेतु 15070 हार्डडिस्क (4TB) की ई–कंटेट सहित विद्यालयों तक पहुंचायी जायेगी। समस्त अधिनस्थों को समसा द्वारा आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
  2. **विभागीय यू–ट्यूब चैनल के माध्यम से :**विद्यालय में इंटरनेट की उपलब्धता होने की स्थिति में विभागीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटेट दिखाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
  3. **ई–कंटेट द्वारा निरन्तर कक्षा शिक्षणः** विद्यालय में ई–कंटेट की पहुंच सुनिशचित करने के पश्चात् प्रतिदिन विद्यालयवार निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षाएं लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
  4. **ई–कंटेट की मैपिंगः** समस्त पाठ्यक्रम के लिए निर्मित ई–कंटेट में से कौनसा कंटेट किस विषय वस्तु के लिए निर्धारित है इसे स्कूल लैसन गाईडेंस मॉडयूल में वर्णित किया गया है। इस मैपिंग किये गये ई–कंटेट के अनुरूप ही कक्षा–कक्ष में रिक्त कालांश में उसी विषय के शिक्षण के लिए दिये गये ई–कन्टेन्ट के लिंक अथवा सामग्री का हीं उपयोग किया जाना है।
- **विद्यालयवार समय सारणी तैयार करनाः–**
  - विद्यालय में रिक्त पदों एवं अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या के अनुरूप एवं मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के लिए बनाये गये स्कूल लैसन गाईडेंस मॉड्यूल के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप हीं विषय के

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 22:08:39 IST
Reason: Approved

रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए उपयोग किये जाने के लिए समय–सारणी का निर्माण किया जाना है।

- उक्त निर्मित समय सारणी का प्रिंट विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना अनिवार्य रहेगा।

o **ई–कन्टेन्ट का उपयोगः–**

- कक्षा 9 से 12 तक के शैक्षिक रिक्त पदों के अनुरूप ई–कन्टेन्ट का उपयोग निर्धारित समय सारणी के अनुसार किया जाना है।

o **शालादर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्टिः–**

- स्कूल लैसन गाईडेंस मॉड्यूल के अनुसार निर्मित की गई समय सारणी को प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को शालादर्पण मॉडयूल पर प्रविष्ट किया जाना है।

❖ कार्य एवं दायित्वः

"मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" की विस्तृत योजना उपर्युक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय (JD/CDEO/ DEO/CBEO)तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों में ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता एवं इसके माध्यम से सुचारू शिक्षण प्रारम्भ करवाना है। "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" की जिलेवार समीक्षा एवं संबंलन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर करणीय कार्य निम्नानुसार हैं–

संयुक्त निदेशक :

- संभाग स्तर पर अपने कार्यालय में "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" की मॉनिटरिंग हेतु स्वयं नोडल अधिकारी रहेगें। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) को सह.नोडल अधिकारी बनाकर संभाग की प्रति दिवस सुदृढ मॉनिटरिंग करेंगे।
- समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशालय, समसा कार्यालय, एससीईआरटी कार्यालय में कार्यरत RCSE जिला प्रभारी अधिकारी प्रति दिवस प्रभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबलन प्रदान करेंगे।
- समस्त अधीनस्थ जिलाधिकारियों द्वारा "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" के प्रबोधन हेतु साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन करना एवं बैठक कार्यवृत्त निदेशालय को भिजवाना।
- विद्यार्थियों तक ई–कन्टेन्ट की समय पर पहुँच एवं उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ–साथ उसके ई–कन्टेन्ट से अध्ययन करने में सहजता आने की स्थिति में एवं ई–कन्टेन्ट के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के संबंध में जानकारी लेना एवं उनका निस्तारण करना।
- अपने क्षेत्राधिकार में "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता एवं इसके प्रभावी उपयोग की रिपोर्ट प्रत्येक दो सप्ताह में निदेशालय की ई–मेल आईडीः– quality.missionstart@gmail.com पर प्रेषित करें।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी :–

- उक्तानुसार "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" के प्रबोधन कार्य हेतु जिला स्तर पर **सीडीईओ** स्वयं नोडल अधिकारी रहेगें। अपने कार्यालय के सहायक निदेशक को सह.नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे।
- जिशिअ माध्यमिक तथा प्रारम्भिक को ब्लॉक आवंटित कर विद्यालयों में "मिशन स्टार्ट कार्यक्रम" की प्रगति समीक्षा करते हुए संबलन प्रदान करेंगे।
- अधीनस्थ जिलाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा फील्ड फीडबैक के आधार पर; प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान दें।
- विद्यार्थियों तक ई–कन्टेन्ट की समय पर पहुँच तथा उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ–साथ उसके ई–कन्टेन्ट से अध्ययन करने में सहजता आने की स्थिति में तथा ई–कन्टेन्ट के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के संबंध में जानकारी लेना एवं उनका निस्तारण करना।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 22:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4746524

- अपने क्षेत्राधिकार में विद्यालय पीटीएम में भाग लें, माता–पिता की उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा उन्हें विभागीय नवाचार ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता एवं इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी देंगे तथा इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं को विभाग के साथ quality.missionstart@gmail.com पर साझा करेंगे।

<u>जिला शिक्षा अधिकारी :–</u>

- अपने क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयो में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं आईसीटी लैब, स्मार्ट टी.वी, प्रोजेक्टर इत्यादि सभी डिजिटल संसाधनों का आकलन करना।
- परिक्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों में इन्टरनेट की उपलब्धता तथा यदि इन्टरेट उपलब्ध हो तो ऑनलाइन कक्षाओ का संचालन प्रारम्भ करवाना।
- ई–कन्टेन्ट की समस्त विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करना एवं अधिकतम उपलब्ध हार्डवेयर को क्रियाशील स्थिति में तैयार करवाना।
- प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार ''ब्लेन्डेड मोड ऑफ लर्निंग'' के लिए समय–सारणी तैयार करवाना तथा इसका उपयोग सुनिश्चित करना।
- प्रबोधन हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय को नोडल अधिकारी बनाकर जिले की <u>प्रति दिवस सुदृढ मॉनिटरिंग</u> करेंगे।

<u>मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी :–</u>

- ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' की मॉनिटरिंग हेतु CBEO स्वयं नोडल अधिकारी रहेगें। ACBEO-I को सह.नोडल अधिकारी बनाकर ब्लॉक स्तर की <u>प्रति दिवस सुदृढ मॉनिटरिंग</u> करेंगे।
- CBEO स्वयं **अपने** स्टाफ के अन्य सदस्यों, पीईईओ और यूसीईईओ (शहरी नोडल) के माध्यम से विद्यार्थियों तक ई–कन्टेन्ट की समय पर पहुँच एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ ई–कन्टेन्ट के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के संबंध में जानकारी लेना एवं उनका निस्तारण करना।
- व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों से मिशन स्टार्ट कार्यक्रम से पढ़ाये गये ई–कन्टेन्ट के विषय में प्रश्न पूछें तथा विद्यार्थियों के लिए इसकी उपयोगिता का आकलन करेंगे।
- अपने क्षेत्राधिकार में विद्यालय पीटीएम में भाग लें, माता–पिता की उपस्थिति सुनिश्चित करें, तथा उन्हें विभागीय नवाचार ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' ई–कन्टेन्ट की उपलब्धता एवं इसके प्रभावी उपयोग की जानकारी देंगे।

<u>PEEO/UCEEO :–</u>

- ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' की मॉनिटरिंग हेतु PEEO/UCEEO स्वयं नोडल अधिकारी रहेगें।
- PEEO स्वयं **अपने परिक्षेत्र के** सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं आईसीटी लैब, स्मार्ट टी.वी, प्रोजेक्टर इत्यादि सभी डिजिटल संसाधनों एवं विद्यालयों में इन्टरनेट की उपलब्धता का आकलन करेंगे। अधिकतम उपलब्ध हार्डवेयर को क्रियाशील स्थिति में तैयार करवाना।
- अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त विद्यालयों में ई–कन्टेन्ट की पहुंच सुनिश्चित करेंगे तथा अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक शैक्षिक रिक्त पदों का आकलन कर कालांश निर्धारित करते हुए समय सारणी का निर्माण करेंगे एवं इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में बारी बारी से पीटीएम में भाग लें, माता–पिता को विभागीय नवाचार ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' द्वारा ई–कन्टेन्ट के माध्यम से विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में उन्हें जानकारी देंगे।
- ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' के संबंध में जारी किये गये समस्त [illegible] में दिये गये निर्देशों बिंदुवार क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
- अपने परिक्षेत्र में प्रति सप्ताह स्कूल विजिट के दौरान ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' के [illegible] में देखी गई 2 बेस्ट प्रेक्टिसेज को, समूह को प्रेरित करने के लिए अपने PEEO [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 22:08:39 IST
Reason: Approved

- पीईईओ विद्यालय में अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में ''मिशन स्टार्ट कार्यक्रम'' की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करने के लिए एक ''मिशन स्टार्ट प्रभारी नियुक्त करेंगे। मिशन स्टार्ट प्रभारी आईसीटी लैब प्रभारी/कम्प्यूटर अनुदेशक/कम्प्युटर शिक्षक अथवा अन्य किसी कम्प्यूटर दक्ष शिक्षक को बनाया जा सकेगा। जो अपने परिक्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए, शंकाओं का समाधान करने के लिए अपने परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करें।
- निर्धारित समय सीमा में ई–कन्टेन्ट के प्रभावी उपयोग द्वारा पाठ्यक्रम पूर्णता भी सुनिश्चित करेंगे।

संस्था प्रधान स्तर पर :–

- कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को मिशन स्टार्ट प्रभारी बनाएगें।
- अपने विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के रिक्त पदों एवं अनुपस्थित शिक्षकों के कालांश निर्धारित करते हुए ई–कन्टेन्ट के माध्यम से शिक्षण हेतु समय सारणी का निर्माण करेंगे एवं इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालयवार समय–सारणी का निर्धारण मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्कूल लैसन गाईडेंस मॉडयूल फॉर मिशन स्टार्ट के अनुरूप हीं किया जाना है। रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए दिये गये ई–कन्टेन्ट के लिंक अथवा सामग्री का हीं उपयोग किया जाना है।
- प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी शालादर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का दायित्व मिशन स्टार्ट प्रभारी शिक्षक का रहेगा। उक्त डाटा की कक्षाध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथासमय प्रविष्टि करवाए।
- उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- पीटीएम में माता–पिता की भागीदारी सुनिश्चित करें।
- शिक्षकों का संबलन करने हेतु उनकी बेस्ट प्रेक्टिसेज को सराहेगें व विद्यालय स्तर पर सम्मानित करें।

मिशन स्टार्ट प्रभारी शिक्षक :–

- अपने विद्यालय में कक्षा 9 से 12 के लिए निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी शालादर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त समय सारणी को प्रिंट करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।
- विद्यार्थियों से मिशन स्टार्ट के संबध में निरन्तर फीडबैक लेंगे तथा उन्हें डिजिटल माध्यम से करवाये जाने वाले शिक्षण के साथ सहजता का अनुभव करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा ब्लेंडेड लर्निंग के लाभों से अवगत करवायेंगे।
- विद्यार्थियों के ई–कन्टेन्ट उपयोग की निरन्तर समीक्षा करें ताकि विद्यार्थियों को आने वाली कठिनताओं के बारे में पता लगाया जा सके।

उक्त कार्ययोजना के अनुसार विद्यार्थियों के हित में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन मिशन भावना से किया जाना सुनिश्चित करावें।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 22:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4746524

3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शासन के प्रासंगिक पत्र अनुरूप 15070 हार्डडिस्क ई–कन्टेन्ट सहित विद्यालय में पहुंचाने आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग करने एवं शालादर्पण पोर्टल पर प्रबोधन मॉडयूल निर्माण एवं कार्यक्रम के प्रबोधन के संबंध में यथोचित कार्यवाहीं करने का श्रम करावें।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर ।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. उपनिदेशक,शालादर्पण,जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक मॉड्यूल निर्माण करवाना सुनिश्चित करें।
9. उपनिदेशक, आई.सी.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टॉफ आफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

स्टाफ ऑफिसर
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.09.20 23:08:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4746524

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

क्रमांकः F.17(1)Edu-1/Misc./2017 Part-I-00702 जयपुर, दिनांक : 12.09.2023

:: परिपत्र ::

शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच बढ़ाने हेतु शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है। दूरस्थ स्थानों तक जहाँ अभी भी शिक्षा की पहुँच में गैप है, वहाँ पर भी विद्यार्थियों तक पहुँचने की दिशा में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने से शिक्षकों के पदों की प्रतिपूर्ति किया जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि विभाग द्वारा एक लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान करने के उपरान्त भी विषय अध्यापकों की उपलब्धता में कमी है। विद्यालयों के क्रमोन्नत किये जाने से विषय अध्यापकों की कमी हो गई है।

इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वाधान में तैयार Mission START : 2023-24 (Support for Teaching with Advance Remedial Techniques) का दिनांक 5 सितम्बर, 2023 को "शिक्षक दिवस" के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। यह मिशन रिक्त पदों के उपरान्त भी शिक्षण को जारी रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

Mission START : 2023-24 कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

अ. कार्यक्रम का उद्देश्य एवं अपेक्षाएं :–

1. विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर (आईसीटी लैब/स्मार्ट टीवी/आईएफपीडी/प्रोजेक्टर/आईबी/ एसबी आदि) का आंकलन किया जाकर उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना।
2. ई–कन्टेन्ट हेतु हार्ड ड्राईव का प्रबन्ध करना तथा सभी विषयों का ई–कन्टेन्ट उपलब्ध करवाना एवं ई–कन्टेन्ट की मैपिंग करना।
3. विद्यालयों में उपलब्ध इन्टरनेट का समुचित उपयोग कर ई–कक्षा का संचालन सुनिश्चित करना।
4. प्रत्येक विद्यालय में ई–कक्षा हेतु साप्ताहिक समय–सारणी तैयार करना ताकि कम्प्यूटर हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
5. इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप क्रियान्वयन करना तथा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रबोधन करना।

ब. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व :–

मिशन के सफल एवं सुचारू रूप से निरन्तर गतिशील रखने हेतु निम्नानुसार प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है :–

1. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :–**
   - योजना का सघन प्रबोधन, संबलन एवं यथावश्यकता दिशा–निर्देश जारी करना।
   - शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रबोधन किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार मॉड्यूल का निर्माण करवाकर प्रबोधन किया जाना।
   - प्रबोधन हेतु निदेशालय स्तर पर एक अधिकारी को समन्वयक नियुक्त करना।
2. **राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर :–**
   - 15,070 हार्ड डिस्क (4 TB) की ई–कन्टेन्ट सहित पहुँच विद्यालयों तक सुनिश्चित करना।
   - आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना।
   - शाला दर्पण पोर्टल पर प्रबोधन मॉड्यूल निर्माण करवाना एवं प्रभावी प्रबोधन करना।
3. **संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर :–**
   - विद्यार्थियों तक समय–समय पर content की पहुँच एवं उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ–साथ उसके सहज होने एवं मैत्रीपूर्ण (User Friendly) उपयोग में आ रही कठिनाईयों का निस्तारण करना एवं प्रत्येक दो सप्ताह में निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।
   - प्रबोधन हेतु संभाग/जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक को समन्वयक नियुक्त करना।
4. **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी :–**
   - संसाधनों का आंकलन तथा यदि ईन्टरनेट हो तो ऑनलाईन कक्षा भी शुरू करना।
   - ई–कन्टेन्ट की पहुँच सुनिश्चित करना एवं उपलब्ध हार्डवेयर को तैयार करवाना।
   - प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार समय–सारणी का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
   - प्रबोधन हेतु जिला/ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी–द्वितीय को समन्वयक नियुक्त करना।
5. **विद्यालय स्तर पर (संस्था प्रधान) :–**
   - कक्षा 9 से 12 तक शैक्षिक रिक्त पदों का आंकलन कर कालांश निर्धारित करते हुए समय–सारणी निर्माण करना।
   - विद्यालयवार **समय सारणी का निर्धारण :–** School Lesson Guidance Module for Mission START के तहत विद्यालय में निर्धारित कालांश सारणी के अनुरूप ही विषय के रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय–सारणी शाला–दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट कर उसका प्रिन्ट विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

- विद्यालय में उपलब्ध टीवी, स्मार्ट कक्षा–कक्ष, आई.सी.टी. लैब अथवा ई–शिक्षण हेतु कोई भी उपलब्ध तकनीकी संसाधनो के इष्टतम उपयोग करते हुए मिशन स्टार्ट : 2023 के तहत शिक्षण करवाना।
- समय सारणी के अनुसार स्कूलों में ई–कन्टेंट (04 TB HD/विभाग के यूट्यूब चैनल के माध्यम) से कक्षा का संचालन करना।
- मिशन अन्तर्गत निर्धारित कालांश को चरणबद्ध एवं समयबद्ध पूर्ण क्रियान्वित करवाना।

सभी संबंधित हितधारक विद्यार्थियों के हित में इस कार्यक्रम में मिशन भावना से क्रियान्वित करेंगे।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।
9. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5), प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
11. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
12. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक, समस्त जिले/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
14. नोडल अधिकारी शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल इस संबंध में आवश्यक मॉड्युल का निर्माण करवाने की सुनिश्चितता करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

(किशोर कुमार)
संयुक्त शासन सचिव